रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223033
CG-DL-E-10112020-223033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3558] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/कार्तिक 19, 1942
No. 3558] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 4041(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ अट्ठावनवां संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की –

(क) प्रथम अनुसूची में, -

(i) शीर्षक "26. योजना मंत्रालय" के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"26क. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय";

(ii) शीर्षक "32. पोत परिवहन मंत्रालय" का लोप किया जाएगा;

(ख) द्वितीय अनुसूची में,-

(i) शीर्षक "योजना मंत्रालय" और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

I. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयः

1. समुद्री पोत परिवहन और नौपरिवहन; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

2. दीपस्तम्भ और दीपपोत ।

3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तनों का प्रशासन।

4. पोत परिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जल मार्गों पर यात्रियों और माल का वहन भी है, जो संसद द्वारा विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, ऐसे जलमार्गों पर सड़क-नियम ।

5. पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग ।

6. पोत भंजन ।

7. मत्स्य जलयान उद्योग ।

8. प्लवमान-यान उद्योग ।

II. संघ राज्यक्षेत्र की बाबत:

9. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात ।

III. अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में:

10. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीप समूह के बीच पोत परिवहन सेवाओं का गठन और अनुरक्षण ।

IV. अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है:

11. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक पोत परिवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधान ।

12. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधान ।

13. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न, डॉक कर्मकार (नियोज़न का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम का प्रशासन ।

14. फ्री ऑन बोर्ड/फ्री अलोंग साईट पर स्थोरा के आयात तथा लागत और भाड़ा/लागत बीमा और भाड़ा आधार पर निर्यात के संबंध में भारत सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के लोक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबंध करना ।

15. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना ।

16. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण विषयक नीति बनाना ।

17. गांधीधाम नगरी का विकास ।

18. प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण:

(क) पत्तन क्षेत्रों सहित, पोतों, पोत अवशेषों तथा समुद्र में अपसर्जित पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण;

(ख) पोतों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा निपटान से संबंधित विधान का अधिनियमन तथा प्रशासन; और

(ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की मानीटरी तथा उससे निपटना ।

V. अधीनस्थ कार्यालय:

19. पोत परिवहन महानिदेशालय ।

20. अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म ।

21. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय ।

22. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन ।

VI. **स्वशासी निकाय:**

23. महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी.)।

24. मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, कांडला, चेन्नई, मोरमुगाव, जवाहर लाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और न्यू मंगलोर स्थित पत्तन न्यास।

25. कोलकाता, कंडला और विशाखापट्टनम स्थित गोदी श्रम बोर्ड।

26. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।

27. नाविक भविष्य निधि संगठन।

VII. **सोसाइटियां/संगम:**

28. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान।

29. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र।

30. समुद्री यात्री कल्याण निधि सोसाइटी।

VIII. **लोक सेक्टर उपक्रम:**

31. भारतीय पोत परिवहन निगम।

32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।

33. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

34. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया।

35. हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड।

36. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड।

IX. **अंतर्राष्ट्रीय पहलू:**

37. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।

X. **अधिनियम:**

38. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15)।

39. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)।

40. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9)।

41. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)।

42. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)।

43. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4)।

44. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82)।

45. माल बहु-विध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28)।";

(ii) शीर्षक "पोत परिवहन मंत्रालय" और उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/19/2016-मंत्रि.]

आशुतोष जिंदल, सयुंक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2020

S.O. 4041(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Eighth Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(A) in THE FIRST SCHEDULE,-

(i) after the heading "26. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"26A. Ministry of Ports, Shipping and Waterways (Pattan, Pot Parivahan aur Jalmarg Mantralaya)";

(ii) the heading "32. Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya)" shall be omitted;

(B) in THE SECOND SCHEDULE,-

(i) after the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)" and entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (PATTAN, POT PARIVAHAN AUR JALMARG MANTRALAYA)

I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.
2. Lighthouses and lightships.
3. Administration of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and ports declared as major ports.
4. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.
5. Ship-building and ship-repair industry.
6. Ship breaking.
7. Fishing vessels industry.
8. Floating craft industry.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

9. Inland waterways and traffic thereon.

III. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES OF THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS AND THE LAKSHADWEEP:

10. Organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

IV. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

11. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.
12. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports.
13. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.

14. To make shipping arrangements for and on behalf of the Government of India/Public Sector Undertakings/State Governments/ State Government Public Sector Undertakings and autonomous bodies in respect of import of cargo on Free on Board/Free along Site and export on Cost and Freight/Cost Insurance and Freight basis.

15. Planning of Inland Water Transport.

16. Formulation of the privatization policy in the infrastructure areas of ports, shipping and inland waterways.

17. The Development of township of Gandhidham.

18. Prevention and control of pollution:

(a) Prevention and control of pollution arising from ships, shipwrecks and abandoned ships in the sea, including the port areas;

(b) enactment and administration of legislation related to prevention, control and combating of pollution arising from ships; and

(c) monitoring and combating of oil pollution in the port areas.

V. SUBORDINATE OFFICES:

19. Directorate General of Shipping.

20. Andaman Lakshadweep Harbour Works.

21. Directorate General of Lighthouses and Lightships.

22. Minor Ports Survey Organisation.

VI. AUTONOMOUS BODIES:

23. Tariff Authority for Major Ports (TAMP).

24. Port Trusts at Mumbai, Kolkata, Kochi, Kandla, Chennai, Mormugao, Jawahar Lal Nehru (Nhava Sheva), Paradip, Tuticorin, Visakhapatnam and New Mangalore.

25. Dock Labour Boards at Kolkata, Kandla and Visakhapatnam.

26. Inland Waterways Authority of India.

27. Seamen's Provident Fund Organisation.

VII. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

28. National Institute of Port Management.

29. National Ship Design and Research Centre.

30. Seafarers Welfare Fund Society.

VIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

31. Shipping Corporation of India.

32. Cochin Shipyard Limited.

33. Central Inland Water Transport Corporation Limited.

34. Dredging Corporation of India.

35. Hooghly Dock and Ports Engineers Limited.

36. Ennore Port Limited.

IX. INTERNATIONAL ASPECTS:

37. International Maritime Organisation.

X. ACTS:

38. The Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).

39. The Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917).

40. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

41. The Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

42. The Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

43. The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).

44. The Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).

45. The Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993)."

(ii) the heading "MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)", and entries thereunder, shall be omitted.

RAM NATH KOVIND

President

[F. No. 1/21/19/2016-Cab.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.